

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच पत्नी श्री घासीराम लुणायच, वार्ड नो.12 नई ब्राह्मण धर्मशाला के पास सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती अनिता पुनिया -लुणायच द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिंडेल)

आईएसए

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच पत्नी श्री घासीराम लुणायच, वार्ड नो.12 नई ब्राह्मण धर्मशाला के पास सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com



नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री अजय कुमार भार्गव पुत्र श्री महादेव प्रसाद, वार्ड न-20, पंजाब नेशनल बैंक के पास, भगवती राईस मिल के सामने, जिला हनुमानगढ़ ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री अजय कुमार भार्गव द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री अजय कुमार भार्गव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तायना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 13.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री अजय कुमार भार्गव के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री अजय कुमार भार्गव द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री अजय कुमार भार्गव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)
अईपररर
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 23.02.18

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री अजय कुमार भार्गव पुत्र श्री महादेव प्रसाद, वार्ड न-20, पंजाब नेशनल बैंक के पास, भगवती राईस मिल के सामने, जिला हनुमानगढ़

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री कुलदीप यादव पुत्र श्री गोपी राम, वी-7एलएल, पीओ-5एलएल, चक 5एल आई, जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री कुलदीप यादव द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री कुलदीप यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री कुलदीप यादव के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री कुलदीप यादव द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री कुलदीप यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री कुलदीप यादव पुत्र श्री गोपी राम, वी-7एलएल, पीओ-5एलएल, चक 5एल आई, जिला श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री करना राम, वार्ड नं-25, रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं कात्मानिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर


क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

दिनांक: 23-2-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री करना राम, वार्ड नं-25, रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्रीमती सरोज विश्नोई, पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह विश्नोई, चक 5, एसओ पदमपुर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती सरोज विश्नोई, द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती सरोज विश्नोई, द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तायना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 13.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती सरोज विश्नोई, के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती सरोज विश्नोई, द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती सरोज विश्नोई, द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल खिंडेल)
आईएसएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती सरोज विश्नोई, पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह विश्नोई, चक 5, एसओ पदमपुर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती हेमलता पत्नी श्री संजय कुमार बंसल, वार्ड न.18, भादरा, जिला हनुमानगढ़ ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दाघर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती हेमलता द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती हेमलता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे है। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती हेमलता के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती हेमलता द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती हेमलता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिल्ले)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती हेमलता पत्नी श्री संजय कुमार बंसल, वार्ड न.18, भादरा, जिला हनुमानगढ़

www.rajteachers.com

नियुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री केवल सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह, देवता कॉलोनी, वार्ड न-20, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री केवल सिंह द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री केवल सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री केवल सिंह के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री केवल सिंह द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री केवल सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आईएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/08 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री केवल सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह, देवता कॉलोनी, वार्ड न-20, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com

23/02/18
नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री सुन्तर राम पुत्र श्री उत्तमा राम, बरिंगा श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री सुन्तर राम द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री सुन्तर राम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री सुन्तर राम के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री सुन्तर राम द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री सुन्तर राम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)
अवर सचिव
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री सुन्तर राम पुत्र श्री उत्तमा राम, बरिंगा श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com


नियुक्ति निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री महेश कुमार पुत्र श्री भगवान राम, वार्ड नो.02 गोलूवाला निवेदन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पेकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री महेश कुमार के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरिष्ठता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आदेशक

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री महेश कुमार पुत्र श्री भगवान राम, वार्ड नो.02 गोलूवाला निवेदन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

www.rajteachers.com

अनुप्रेषित निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री राजेंद्र पाल श्री रामकुमार बिश्नोई, ढाणी 28 केएसडी ग्राम पाटिल सादुलशहर जिला श्री गंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री राजेंद्र पाल द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाम दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री राजेंद्र पाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री राजेंद्र पाल के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायचित है।

याचिकार्थी श्री राजेंद्र पाल द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री राजेंद्र पाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।




(नथमल डिडेल)
आईएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री राजेंद्र पाल श्री रामकुमार बिश्नोई, ढाणी 28 केएसडी ग्राम पाटिल सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

www.rajteachers.com



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती नम्रता शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा, 4-सी/7-अ जवाहर नगर, गुप्ता नर्सिंग होम के पीछे, जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वाश प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती नम्रता शर्मा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती नम्रता शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 10.02.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती नम्रता शर्मा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती नम्रता शर्मा द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून दरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती नम्रता शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।




(नथमल डिहल)
आईएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

कमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती नम्रता शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा, 4-सी/7-अ जवाहर नगर, गुप्ता नर्सिंग होम के पीछे, जिला श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री प्रकाश चंद्र चाहर पुत्र श्री धन्ना राम, ग्राम पोस्ट आबुसर, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री प्रकाश चंद्र चाहर द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री प्रकाश चंद्र चाहर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे है। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री प्रकाश चंद्र चाहर के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री प्रकाश चंद्र चाहर द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं कात्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री प्रकाश चंद्र चाहर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिंडेल)
आदेशरतन
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29990/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री प्रकाश चंद्र चाहर पुत्र श्री धन्ना राम, ग्राम पोस्ट आबुसर, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उदय सिंह, ग्राम गोवलिया की ढाणी पोस्ट ककोरा चिड़ावा, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री अशोक कुमार के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून दरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिखेल)

आर्क्षणरत

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उदय सिंह, ग्राम गोवलिया की ढाणी पोस्ट ककोरा चिड़ावा, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री जयप्रकाश पुत्र श्री नेमीचंद, ग्राम पोस्ट भारु, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री जयप्रकाश द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री जयप्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 10.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री जयप्रकाश के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री जयप्रकाश द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री जयप्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिलेल)

आई.एस.एम.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री जयप्रकाश पुत्र श्री नेमीचंद, ग्राम पोस्ट भारु, जिला झुंझनू



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री विनोद कुमार जांगिड़ पुत्र श्री काना राम जांगिड़, ग्राम पोस्ट कुडाना, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री विनोद कुमार जांगिड़ द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री विनोद कुमार जांगिड़ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री विनोद कुमार जांगिड़ के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री विनोद कुमार जांगिड़ द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री विनोद कुमार जांगिड़ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिंडेल)
वार्डरररर
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री विनोद कुमार जांगिड़ पुत्र श्री काना राम जांगिड़, ग्राम पोस्ट कुडाना, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री कुरड़ा राम, ग्राम पोस्ट मीठवास, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिल्ले)
आईएएस
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री कुरड़ा राम, ग्राम पोस्ट मीठवास, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री फारुक अली पुत्र श्री सबदल खान, ग्राम पोस्ट कोलाली (महारदासी), जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री फारुक अली द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री फारुक अली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 10.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री फारुक अली के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री फारुक अली द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री फारुक अली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिंडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 23-02-18

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री फारुक अली पुत्र श्री सबदल खान, ग्राम पोस्ट कोलाली (महारदासी), जिला झुंझनू

www.rajteachers.com

नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती सीमा दूत पत्नी श्री रोहिताश्व, ग्राम पोस्ट पडेवा, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती सीमा दूत द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती सीमा दूत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती सीमा दूत के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती सीमा दूत द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाम याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती सीमा दूत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती सीमा दूत पत्नी श्री रोहिताश्व, ग्राम पोस्ट पडेवा, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री राजपाल गोदारा पुत्र श्री नौरंग लाल, ग्राम पोस्ट गोदारों का बास भोडकी गुढा उदयपुरवादी, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री राजपाल गोदारा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री राजपाल गोदारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री राजपाल गोदारा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री राजपाल गोदारा द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री राजपाल गोदारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिल्ले)
आईएस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जंय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री राजपाल गोदारा पुत्र श्री नौरंग लाल, ग्राम पोस्ट गोदारों का बास भोडकी गुढा उदयपुरवादी, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार सिंह, ग्राम पोस्ट मिलों की ढाणी पोस्ट हेतमसर, जिला झुंझुने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिलेल)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार सिंह, ग्राम पोस्ट मिलों की ढाणी पोस्ट हेतमसर, जिला झुंझुने


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री सोहन लाल, ग्राम पोस्ट रघुनाथपुरा, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 02.08.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री प्रमोद कुमार के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आवंलक
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री सोहन लाल, ग्राम पोस्ट रघुनाथपुरा, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com

नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्रीमती विद्या चौधरी पत्नी श्री बनवारी लाल, प्लॉट न.1-393 हाउसिंग बोर्ड, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती विद्या चौधरी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(नथमल डिंडेल)


आईएसएन
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 23-2-18

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. सनस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती विद्या चौधरी पत्नी श्री बनवारी लाल, प्लॉट न.1-393 हाउसिंग बोर्ड, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री वेद प्रकाश सैनी पुत्र श्री किशन लाल सैनी, ग्राम पोस्ट बग्गड़ (कायस्थपुरा), जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री वेद प्रकाश सैनी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री वेद प्रकाश सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री वेद प्रकाश सैनी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री वेद प्रकाश सैनी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री वेद प्रकाश सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(नथमल डिडेल)
आईएसए
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री वेद प्रकाश सैनी पुत्र श्री किशन लाल सैनी, ग्राम पोस्ट बग्गड़ (कायस्थपुरा), जिला झुंझनू

www.rajteachers.com


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री सीताराम सैनी, चौधरियों के कुआँ के पास वार्ड न.11, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार सैनी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार सैनी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार सैनी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अन्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिल्ले)

आई.एस.एस.

निदेशक.

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

दिनांक: 23-2-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री सीताराम सैनी, चौधरियों के कुआँ के पास वार्ड न.11, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com

 23-2-18

नियुक्ति निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री महेश कुमार सैनी पुत्र श्री कुरडा राम सैनी, वार्ड न.17 रानी सती मार्ग मंदिर पिलानी, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार सैनी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 09.07.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री महेश कुमार सैनी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार सैनी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री महेश कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नभमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


दिनांक: 23-2-18

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री महेश कुमार सैनी पुत्र श्री कुरडा राम सैनी, वार्ड न.17 रानी सती मार्ग मंदिर पिलानी, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह, ग्राम पोस्ट खुंडोत, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री सुभाष सिंह द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री सुभाष सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री सुभाष सिंह के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री सुभाष सिंह द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री सुभाष सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल खिडेल)
आईएएस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. सगस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह, ग्राम पोस्ट खुंडोत, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com

नियुक्ति निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्रीमती संजू नेहरा पत्नी श्री विरेन्द्र सोहु, ग्राम सोहु का बास पोस्ट उदावास, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती संजू नेहरा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती संजू नेहरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती संजू नेहरा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती संजू नेहरा द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती संजू नेहरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(नथमल डिलेल)


आईएएल
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती संजू नेहरा पत्नी श्री विरेन्द्र सोहु, ग्राम सोहु का बास पोस्ट उदावास, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com


नियुक्ति निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री राजवीर पुत्र श्री ओम प्रकाश, ग्राम ननवास पोस्ट बुहाना, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री राजवीर द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री राजवीर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 07.09.2015 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री राजवीर के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री राजवीर द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून दरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री राजवीर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आईएसए

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. सनस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री राजवीर पुत्र श्री ओम प्रकाश, ग्राम ननवास पोस्ट बुहाना, जिला झुंझनू

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री संजय कुमार सोमरा पुत्र श्री रावत सिंह, ग्राम मोइसन पोस्ट बुहाना, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री संजय कुमार सोमरा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री संजय कुमार सोमरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 10.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री संजय कुमार सोमरा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री संजय कुमार सोमरा द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री संजय कुमार सोमरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिंडेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर


दिनांक: 23-02-18

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री संजय कुमार सोमरा पुत्र श्री रावत सिंह, ग्राम मोइसन पोस्ट बुहाना, जिला झुंझनू

www.rajteachers.com



संयोजक निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री मांगी लाल पुत्र देवी लाल, ग्राम पोस्ट मुकरका तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाम दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री मांगी लाल द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाम दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री मांगी लाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की धारणा हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री मांगी लाल के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाम दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री मांगी लाल द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाम वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री मांगी लाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर


क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

दिनांक: 23-02-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री मांगी लाल पुत्र देवी लाल, ग्राम पोस्ट मुकरका तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर